बावड़ी (नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बावड़ी, जिला - जोधपुर

भींयाराम बनाम सरकार

मुकदमा 131,136 RRAct नं. 37/2022 सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| [illegible]/2022 | [illegible] दिनांक 5/4/2022 को पेश हो<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बावड़ी जिला–जोधपुर | भींयाराम<br>गंगाराम |
| [illegible]/5/22 | [illegible] अधिकारी [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 1/5/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | (अंगूठा निशानी)<br>LTI भींयाराम |
| [illegible]/5/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार बावड़ी से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गयी। पत्रावली एवं मौका जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल हो। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बावड़ी जिला–जोधपुर | (हस्ताक्षर) [illegible]<br>12/03/2022 |

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला–जोधपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती सुमित्रा पारीक (आर.ए.एस.)

पत्रावली संख्याः– 37 / 2022

...राम पुत्र श्री धोकलराम

...राम पुत्र श्री धोकलराम

...राम पुत्र श्री धोकलराम (फौत)

...जाराम पुत्र श्री धोकलराम

जातियान् मेघवाल निवासी नेतड़ा तहसील बावड़ी जिला–जोधपुर।

बनाम–

1. श्रीमान तहसीलदार साहब, बावड़ी।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 131, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री सोहनलाल चौधरी प्रार्थीगण अधिवक्ता ।
2. अप्रार्थी श्री भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी।

**निर्णय :–**

दिनांकः–19.04.2022

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। कि ग्राम नेतड़ा , तहसील बावड़ी की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा नेतड़ा के खसरा संख्या क्रमशः 137/2, 137/4, 137, 137/1, 137/3 की भूमि आयी हुई है। जिसकी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होकर गलत दर्ज है। जिसको दुरस्त किया जावे। अप्रार्थी तहसीलदार बावड़ी से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार बावड़ी ने प्रार्थीणों की तरमीम वर्तमान नक्शे में गलत होना स्वीकार किया। तथा फर्द नजरीया नक्शा प्रस्तुत कर नजरीये नंक्शे तरमीम दुरस्त की अनुशंषा की गयी । पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। एवं तहसीलदार बावड़ी से प्राप्त रिपोर्ट एवं फर्द नजरीये नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड के ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। तहसीलदार बावड़ी द्वारा प्रस्तुत नजरीये नक्शे फर्द को इस निर्णय का अंग शुमार समझा जावे। निर्णय आज न्यायालय में मजमे–आम सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी, जिला–जोधपुर